कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बस्तर जिला जगदलपुर

//ज्ञापन//

क्रमांक/क/रीडर/2016 जगदलपुर, दिनांक 4/08/2016

प्रति,

श्री अमन कुमार सिंह
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छ0ग0 ।

विषय :– अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् ।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/रिलिइंलि/आफाके/वन भूमि/2016–17 दिनांक 01.08.2016 ।

— ::: —

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–30 जगदलपुर से भानपुरी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित राजस्व वन भूमि पर 4 जी टेलीकॉम सर्विस के लिए आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु नीचे लिखे ग्रामवार राजस्व वन भूमि को भू–प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है :–

क्रमांक	पैच क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	वन भूमि का प्रकार	डायवर्सन क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	आरक्षित वन भूमि	1333	आरक्षित वन भूमि	0.026
2	3	आरक्षित वन भूमि	1334	आरक्षित वन भूमि	0.070
3	4	मेटावाड़ा	283	राजस्व वन भूमि	0.003
4	5	आरक्षित वन भूमि	1335	आरक्षित वन भूमि	0.028
5	6	मेटावाड़ा	23	राजस्व वन भूमि	0.004
6	7	मेटावाड़ा	21	राजस्व वन भूमि	0.014
7	7	मेटावाड़ा	7	राजस्व वन भूमि	0.016
8	11	महुपाल बरई	34	राजस्व वन भूमि	0.006
9	12	महुपाल बरई	1	राजस्व वन भूमि	0.005
10	13	बस्तर	454/1	राजस्व वन भूमि	0.096
11	14	आरक्षित वन भूमि	1428	आरक्षित वन भूमि	0.145
12	15	बालेंगा	696	राजस्व वन भूमि	0.005
13	16	बालेंगा	698	राजस्व वन भूमि	0.013
14	17	चपका	235/1	राजस्व वन भूमि	0.021
15	18	आरक्षित वन भूमि	1086	आरक्षित वन भूमि	0.061

16	26	आरक्षित वन भूमि	1071	आरक्षित वन भूमि	0.090
17	2	आसना	132	राजस्व वन भूमि	0.008
18	9	परचनपाल	1	राजस्व वन भूमि	0.010
19	10	महुपाल बरई	85	राजस्व वन भूमि	0.002
20	19	मंजला	513	राजस्व वन भूमि	0.001
21	19	मुंजला	514	राजस्व वन भूमि	0.003
22	20	मुंजला	503	राजस्व वन भूमि	0.002
23	21	तारागांव	432	राजस्व वन भूमि	0.006
24	22	तारागांव	429	राजस्व वन भूमि	0.002
25	23	तारागांव	413	राजस्व वन भूमि	0.007
26	24	तारागांव	228	राजस्व वन भूमि	0.005
27	27	भानपुरी	443	राजस्व वन भूमि	0.004
28	28	भानपुरी	445	राजस्व वन भूमि	0.005
29	8	मेटावाड़ा	79	राजस्व वन भूमि	0.005
30	1	आरक्षित	1718	आरक्षित वन भूमि	0.029

चूँकि प्रस्तावति भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी है । जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है।

अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जाने के संबंध में विधिवत् वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू–प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है, तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

(अमित कटारिया)
कलेक्टर
जिला बस्तर

पृ0क्रमांक/क/रीडर/2016 — जगदलपुर, दिनांक 4/08/2016

प्रतिलिपि :–

वन मण्डलाधिकारी, बस्तर वन मंडल (सा0) जगदलपुर की ओर सूचनार्थ ।

(अमित कटारिया)
कलेक्टर
जिला बस्तर

31	31	बोरगॉव	77/3	रिवेन्यू फारेस्ट	0.021
				कुल योग	**0.924**

Vill

1. Patla
2. Bedma
3. Shinghanpur
4. Batrali
5. Manjhi Gattigaon
6. Pipra
7. Massu Kalloda

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक ....

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय, ग्राम-पंचायत:- सोनारपाल विकास खण्ड : बस्तर जिला: बस्तर

क्र.	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1	श्रीमती श्यामकुमारी	रिलायंस	आज दिनांक 22-4-016 को सरपंच	यह प्रस्ताव	सही
	ध्रुव सरपंच	जियो इन्फो-	श्रीमती श्याम कुमारी ध्रुव के अध्यक्षता	पास सर्व	
2	जगदेव बघेल	काम लि०	में विशेष ग्राम सभा का बैठक आयोजन	सम्मति से	
	उपसरपंच	द्वारा आप्टिकल	किया गया। आज के ग्राम सभा	किया गया	
3	गोमती बघेल	फाईबर बिछाए	बैठक में रिलायंस जियो इन्फोकाम लि०		
4	झंलिक	जाने के	द्वारा आप्टिकल फाईबर बिछाए जाने		
5	टकाराम	सम्बंध में	के सम्बंध में प्रस्ताव रखा गया। बैठक		
6	सुनिता		में सर्व सम्मति से विचार विमर्श करके		
7	मीना बघेल		यह निर्णय लिया गया कि इनके		
8	सुलोचना		इस कार्य से ग्राम पं० सोनारपाल के		
9	कमला बाई		अन्तर्गत वन क्षेत्र में किसी प्रकार के		
10	जोबिना		वृक्ष प्रभावित नहीं होंगे ग्राम पंचायत		
11	ज्योति कुंजाम		को कोई आपत्ती नहीं है।		

क्रमांक................ दिनांक..........................

सचिव
ग्राम पंचायत सोनारपाल
जनपद पंचायत बस्तर

श्रीमती श्यामकुमारी ध्रुव
सरपंच
ग्राम पंचायत सोनारपाल
वि.खं.
विकास खण्ड बस्तर (छ.ग.)

ग्राम पंचायत:- सोनारपाल

प्रस्ताव 12 दिनांक 24.4.018

कार्यालय ग्राम पंचायत सोनारपाल

कार्यालय ग्राम पंचायत – सोनारपाल ,विकासखण्ड बस्तर जिला बस्तर

प्रति , रिलायंस जियो इन्फोकाम लि. रायपुर (छ. ग.)

विषय :– आप्टिकल फाइवर बिछाए जाने के संबंध में

अनुमोदित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सोनारपाल के अंर्तगत स्थित वन क्षेत्र (परिक्षेत्र क...) में रिलायंस जियो इन्फोकाम द्वारा एन. एच. 30 के किनारे से 4 जी टेलीकाम सेवा हेतु ऑप्टिकल फाइवर बिछाने हेतु वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरिक्षण को परिसर रक्षक एवं पंचायत सदस्यों के द्वारा किया गया जो परिसर वन क्षेत्र मे है। यह कि उक्त वन क्षेत्र में निरिक्षण उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्य से किसी भी प्रकार के वृक्ष व पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी ऑप्टिकल फाइवर केवल बिछाने से ग्राम पंचायत सोनारपाल को कोइ अपत्ति नही है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उक्त स्थल मे 4[जी] टेलीकाम सेवा के लिए ऑप्टिकल फाइवर केवल बिछाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत सोनारपाल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

आज दिनांक 24.4.018 को ग्राम सभा बैठक में प्रस्ताव स्वीकार।

सदस्य

[signature] ... उपसरपंच, ग्राम पंचायत सोनारपाल, जनपद पंचायत बस्तर (छ.ग.)

[signature] सचिव, ग्राम पंचायत सोनारपाल, जनपद पंचायत बस्तर

[signature] श्रीमती श्यामकुमारी ध्रुव, सरपंच, ग्राम पंचायत सोनारपाल, विकास खण्ड बस्तर (छ.ग.)

[signatures: दयमति, गोलचन्द, भोलाराम, मद्दूराम, संतोषी ध्रुव, दुर्गा ठाकुर, मालती, प्रेमीन]

कार्यालय ग्राम पंचायत – आरआमगांव

विकासखण्ड बकावंड जिला बस्तर

क्रमांक/ओएफसी/वन/अनुमोदन/2016–17 /02 दिनांक : 10/05/2016

4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछान हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आवेदक मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु वन परिक्षेत्र .... से .... तक कुल .... कि.मी. मार्ग समानान्तर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नही होंगे ना ही किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान होगा और ना ही इसमें ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की क्षति होगी ।

आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । अतः वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् उक्त स्थल में 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाए जाने का प्रस्ताव ग्रामं पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है ।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर –

सचिव
ग्राम पंचायत आरआमगांव
जनपद पंचायत बकावंड

सरपंच
ग्राम पंचायत ग्रा.पं. आरआमगांव
ज.पं. बकावंड

कार्यवाही बैंठक की नकल

दिनांक 10/5/16

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय, ग्राम-पंचायत:- झारउमरगांव विकास खण्ड : बकावंड जिला: बस्तर

क्र.	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
				सर्वप्रथम	
1.	श्रीमती तुलावती सरपंच	अनापत्ति	आज दिनांक 10/5/16 को सरपंच श्रीमती	सर्वउपस्थित	
2.	श्री धवलबहादुर उपसरपंच	प्रमाण पत्र	तुलावती की अध्यक्षता मे बैठक का आयोजन	सदस्यों द्वारा	
3.	श्रीमती राम पंच	बाबत	ग्राम सभा बैठक मे उपस्थित सदस्यो को	रिलायंस जियो	
4.	श्री केशव पंच		यह जानकारी दि गई कि ग्राम मेटावाडा	इन्फो काम लिमिटेड	
5.	श्री नेहरू पंच		में रिलायंस जिओ इंफोकाम लिमिटेड कंपनी को	को कार्य करने	
6.	श्री सोनधर पंच		ब्राड बैंड सर्विस हेतु आप्टिकल फाइबर	हेतु प्रस्ताव	सही
7.	श्री सोमारू पंच		केबल बिछाने हेतु मुख्य मार्ग NH30 पर	पारित किया	
8.	श्रीमती नेहा पंच		कार्य किया जायेगा और केबल बिछाने	जाता है।	
9.	श्रीमती शोभा पंच		से वन क्षेत्र के पेड़ पौधो एवं पर्यावरण		
10.	श्रीमती देवकी पंच		को कोई नुकसान नही होगा इस कार्य को		
11.	श्रीमती लक्ष्मीदेई पंच		करने मे ग्राम पंचायत झारउमरगांव को		
12.	श्रीमती कासमती पंच		कोई आपत्ति नही है।		

क्रमांक.....02....... दिनांक 10/5/16..........

सचिव
ग्राम पंचायत झारउमरगांव
जनपद पंचायत बकावंड

सरपंच
सरपंच
ग्रा.पं. झारउमरगांव
ज.पं. बकावंड

ग्राम पंचायत:- झारउमरगांव
वि.खं. बकावंड

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरी
क्रमांक 47
दिनांक 06/05/2016
जनपद पंचायत बस्तर (छ.ग.)

क्रमांक/ओएफसी/वन/अनुमोदन/2016–17 दिनांक :

4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछान हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आवेदक मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु वन परिक्षेत्र .... से .... तक कुल .... कि.मी. मार्ग समानान्तर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नही होंगे ना ही किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान होगा और ना ही इसमें ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की क्षति होगी ।

आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । अतः वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् उक्त स्थल में 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाए जाने का प्रस्ताव ग्रामं पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है ।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर –

सचिव
ग्राम पंचायत भानपुरी
जनपद पंचायत बस्तर

कौशिल्या ध्रुव
सरपंच सरपंच
ग्राम पंचायत भानपुरी
ग्राम पंचायत ....जनपद पंचायत बस्तर

कार्यवाही बैठक की नकल

कार्यालय, ग्राम-पंचायत करन्दोला　　दिनांक 24/4/2016　　*Jaisri*

विकास खण्ड बस्तर　　तहसील बस्तर　　जिला बस्तर　　**सत्य प्रतिलिपि**

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1	श्रीमति प्रेमवती कश्यप सरपंच	4 जी टेली कॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु ग्राम सभा में अनुमोदन बाबत रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा कार्य करने हेतु	आज दिनांक 24/4/2016 को ग्रा.पं. करन्दोला में समय 11 बजे पंचायत भवन में ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम सभा अध्यक्ष श्री [illegible] की अध्यक्षता में बैठक प्रारंभ किया गया जिसमें पंच श्री [illegible] द्वारा प्रस्ताव रखा कि 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आवेदक मेसर्स रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु चर्चा किया गया जिससे ग्रा.पं. करन्दोला को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव सर्व सम्मति से किया।	4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाने मेसर्स रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड सर्विस प्रदान करने में आपत्ति नहीं है	[signature]
2	श्री [illegible] उपसरपंच				
3	पं. [illegible]				
4	पं. [illegible]				
5	पं. [illegible]				
6	पं. [illegible]				
7	श्रीमति [illegible]				
8	पं. [illegible]				
9	पं. [illegible]				
10	पं. [illegible]				
11	पं. [illegible]				
12	पं. [illegible]				
13	श्री [illegible] ग्राम सभा अध्यक्ष				

[signature] सचिव ग्राम पंचायत करन्दोला जनपद पंचायत, बस्तर, छ.ग.

प्रेमवती कश्यप सरपंच ग्राम पंचायत करन्दोला जनपद पंचायत बस्तर (छ.ग.)

क्रमांक 10　　दिनांक 24/4/016　　ग्राम पंचायत करन्दोला

कार्यालय ग्राम पंचायत – ....आसना..........

,विकासखण्ड.....जगदलपुर..... **जिला** .....बस्तर.....

क्रमांक/ओएफसी/वन/अनुमोदन/2016–17 दिनांक :

4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछान हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आवेदक मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु वन परिक्षेत्र .....ग्राम - मेटावाड़ा..... से .....ग्राम - आसना..... तक कुल .....0.2..... कि.मी. मार्ग समानान्तर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नही होंगे ना ही किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान होगा और ना ही इसमें ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की क्षति होगी ।

आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । अतः वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् उक्त स्थल में 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाए जाने का प्रस्ताव ग्रामं पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है ।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर –

सरपंच
ग्राम पंचायत आसना
वि.खं. जगदलपुर (छ.ग.)

सरपंच
ग्राम पंचायत ....

कार्यालय ग्राम पंचायत- आसना

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 7/6/016

सत्य प्रतिलिपि

विकासखण्ड जगदलपुर तहसील जगदलपुर जिला - बस्तर (छ.ग.)

क्र.	उपस्थित पंचों / सदस्यों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1	श्री मुखियाराम कश्यप		आज दिनांक 24-05-2016 को ग्राम		
2	श्री गुरुनारायण	रिलायंस जिओ इंफो-	पंचायत- आसना में बैठक का आयोजन किया		
3	श्री मनीराम	काम लिमिटेड द्वारा	गया।		
4	श्री गंगाराम	4 जी हेलिकॉम प्रदाय	जिसमें पंचों की उपस्थिति में रिलायंस इंफो-		
5	श्री महादेव	करने हेतु अनापत्ति प्रमाण	काम लिमिटेड द्वारा 4जी हेलिकाम सर्विस प्रदान		
6	श्री सोमदेव	पत्र प्रदाय करने बाबत्।	करने हेतु ग्राम- आसना से मेटावाड़ा तक 2 कि.मी.		
7	श्री भगत सिंह		नेशनल हाईवे किनारे से फायबर केबल बिछाने में		सही
8	श्रीमती फचमी		वन क्षेत्र के पेड़-पौधों का कोई क्षति या नुकसान		
9	श्रीमती जयती		नहीं होगा। अतः फायबर केबल मेटावाड़ा से		
10	श्रीमती लक्ष्मी		आसना के क्षेत्र तक बिछाने में ग्राम पंचायत		
11	श्रीमती दरमती		-आसना को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।		
12	श्रीमती अरुती		चर्चा कर निर्णय बहुमत से किया गया।		
13	श्रीमती निर्मला				

सचिव ग्राम पंचायत आसना जनपद पंचायत जगदलपुर

सरपंच ग्राम पंचायत-आसना वि.खं. जगदलपुर (छ.ग.)

क्रमांक........ दिनांक........ सचिव ग्राम पंचायत........

कार्यालय ग्राम पंचायत – बालेंगा

,विकासखण्ड बस्तर जिला बस्तर

क्रमांक 01

प्रति , रिलायंस जियो इन्फोकाम लि. रायपुर (छ. ग.)

दिनांक - 24.04.16

विषय :– आप्टिकल फाइवर बिछाए जाने के संबंध में

अनुमोदित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बालेंगा के अंतर्गत स्थित वन क्षेत्र (परिक्षेत्र क..) में रिलायंस जियो इन्फोकाम द्वारा एन. एच. 30 के किनारे से 4 जी टेलीकाम सेवा हेतु ऑप्टिकल फाइवर बिछाने हेतु वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरिक्षण को परिसर रक्षक एवं पंचायत सदस्यों के द्वारा किया गया जो परिसर वन क्षेत्र मे है। यह कि उक्त वन क्षेत्र में निरिक्षण उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्य से किसी भी प्रकार के वृक्ष व पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी ऑप्टिकल फाइवर केवल बिछाने से ग्राम पंचायत बालेंगा को कोइ अपत्ति नही है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उक्त स्थल मे 4[जी] टेलीकाम सेवा के लिए ऑप्टिकल फाइवर केवल बिछाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत बालेंगा द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

सदस्य

सरपंच
ग्राम पंचायत बालेंगा
जनपद पंचायत बस्तर

सचिव
ग्रा० पं० बालेंगा

दिनांक 24/04/2016

कार्यवाही बैठक की नकल

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय,ग्राम-पंचायत:- आलेंगा **विकास खण्ड :** बस्तर **जिला:** बस्तर

क्र.	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1 2 3 4 5 6 7 8 9	श्रीमती शान्ती बघेल सरपंच श्री भुवनेश्वर " - रामूराम " - लखेश्वर " - मनबोध " - बुधरतन " - इस्माईल श्रीमती सुशीला " - मसलाई	अनापत्ति के संबंध में	आज दिनांक 24/04/2016 को ग्राम पंचायत आलेंगा में सरपंच की अध्यक्षता में बैठक किया गया जिसमें प्रस्ताव रखा गया कि रिलायंस जियो इन्फोकाम लिमिटेड कम्पनी द्वारा NH 30 के किनारे से 4 जी टेलीकाम सेवा हेतु ऑप्टिकल फाइबर बिछाने हेतु वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्राप्त प्रकरण की स्थल निरीक्षण को परिसर रहकर ग्राम पंचायत सदस्यों के द्वारा किया गया जो वन परिसर क्षेत्र में है। उक्त वनक्षेत्र को निरीक्षण उपरान्त इस कार्य के किसी भी प्रकार के वृक्ष व पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। (सत्य प्रतिलिपि)	प्रस्ताव सर्व सम्मति से निर्णय हुआ	[signature]

क्रमांक 01.......... दिनांक 22/04/2016

सचिव
सचिव
ग्रा०पं० आलेंगा

[signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत आलेंगा
जनपद पंचायत जगदलपुर

ग्राम पंचायत:- आलेंगा
वि.खं.